



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभक्त से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1992/फाल्गुन 23, 1913

No. 120]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1992/PHALGUNA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1992

सा. का. नि. 329(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण  
(संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6  
और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण  
(संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए  
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण)  
द्वारा संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त  
होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, में,—

(क) नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित  
किया जाएगा, अर्थात्:—

“पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना:—

प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा उद्योग, संक्रिया या  
प्रसंस्करण चला रहा है जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा  
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा  
25 के अधीन या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)  
अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21, या  
दोनों के, अधीन सहमति या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,  
1986 (1986 का 29) के अधीन जारी किए गए परि-  
संकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 के  
अधीन प्राधिकार अपेक्षित है, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड को प्रारूप V में, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त  
वर्ष के लिए, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष 15 मई को या  
उसके पहले पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट पेश करेगा।”

(ख) परिशिष्ट क में प्ररूप IV के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप-V

(नियम 14 देखिए)

31 मार्च, ..... को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट ।

भाग-क

- (i) उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण के स्वामी।  
अधिष्ठाता का नाम और पता
- (ii) अंतिम पर्यावरण संपरीक्षा की तारीख, जो पेश की गई है।

भाग-ख

जल और कच्ची सामग्री का उपभोग

- (i) जल उपभोग एम 3/डी.  
प्रसंस्करण  
शीतलन  
घरेलू

उत्पादों के नाम	उत्पादों का प्रति एकक जल उपभोग	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
	(1)	(2)
1.		
2.		
3.		

- (ii) कच्ची सामग्री का उपभोग

कच्ची सामग्री का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादन के प्रति एकक कच्ची सामग्री का उपभोग	
		पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान

भाग-ग

पैदा हुआ प्रदूषण

(जारी की गई सहायि में यथाविनिर्दिष्ट पैरामीटर)

- (i) प्रदूषक पैदा हुए प्रदूषण की मात्रा
- विहित मानकों से घट-बढ़ की प्रतिशतता और उनके कारण

- (क) जल  
(ख) वायु

भाग-घ

परिसंकटमय अपशिष्ट

[परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और ह्थाजन) नियम, 1989 के अर्धीन यथाविनिर्दिष्ट] .

परिसंकटमय अपशिष्ट	कुल मात्रा (किलोग्राम)	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान

- (क) प्रसंस्करण से  
(ख) प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं से

भाग-ङ

ठोस अपशिष्ट

	कुल मात्रा	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
(क) प्रसंस्करण से		
(ख) प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं से		
(ग) वह मात्रा जो पुनश्चक्रित या पुनः उपयोग की गई है		

भाग-च

कृपया परिसंकटमय के साथ ठोस अपशिष्ट की विशिष्टताएं (सांद्रण और क्वांटम के निबंधनों के अनुसार) विनिर्दिष्ट करें और इन दोनों प्रषर्गों के लिए अपनाई गई व्ययन पद्धति उपदर्शित करें।

भाग-छ

प्राकृतिक साधनों के संरक्षण पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का और परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत पर समाघात।

भाग-ज

पर्यावरण संरक्षण जिसमें प्रदूषण का उपशमन है के लिए अतिरिक्त विनिधान प्रस्ताव।

भाग-झ

प्रकीर्ण

पर्यावरण संरक्षक और प्रदूषक उपशमन की बाबत कोई अन्य विशिष्टियां ।”

[फा. सं. क्यू. 15015/1/90-सीपीए]

टी. जार्ज जोसेफ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को 19 नवंबर, 1986 की अधि-सूचना संख्या सा.आ. 844(ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बार में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया—

(1) सा.आ. 82(ई) दिनांक 16 फरवरी, 1987;

(2) स.आ. 393(ड) दिनांक 16 अप्रैल, 1987;

- (3) सा.आ. 443 (ई) दिनांक 18 अप्रैल, 1987;
- (4) सा.आ. 64 (ई) दिनांक 18 जनवरी, 1988;
- (5) सा.का.नि. 919 (ई) दिनांक 12 सितंबर, 1988;
- (6) सा.आ. 8 (ई) दिनांक 3 जनवरी, 1989;
- (7) सा.का.नि. 913 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 1989
- (8) सा.आ. 914 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 1989
- (9) सा.का.नि. 931 (ई) दिनांक 27 अक्टूबर, 1989
- (10) सा.का.नि. 1063 (ई) दिनांक 25 दिसंबर, 1989
- (11) सा.आ. 12 (ई) दिनांक 8 जनवरी, 1990;
- (12) सा.का.नि. 54 (ई) दिनांक 5 फरवरी, 1990;
- (13) सा.आ. 136 (ई) दिनांक 9 फरवरी, 1990;
- (14) सा.का.नि. 742 (ई) दिनांक 13 अगस्त, 1990
- (15) सा.आ. 23 (ई) दिनांक 16 जनवरी, 1991;
- (16) सा.आ. 80 (ई) दिनांक 8 फरवरी, 1991;
- (17) सा.आ. 114 (ई) दिनांक 19 फरवरी, 1991;
- (18) सा.का.नि. 85 (ई) दिनांक 20 फरवरी, 1991;
- (19) सा.का.नि. 93 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991;
- (20) सा.आ. 190 (ई) दिनांक 18 मार्च, 1991;
- (21) सा.आ. 416 (ई) दिनांक 20 जून, 1991;
- (22) सा.आ. 479 (ई) दिनांक 25 जुलाई, 1991;
- (23) सा.आ. 25 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 1992.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1992

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1.(1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,

(a) after rule 13, the following rule shall be inserted, namely:—

"14. Submission of environmental audit report.—

Every person carrying on an industry, operation or process requiring consent under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or both or authorisation under the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall submit an environmental audit report for the

financial year ending the 31st March in Form V to the concerned State Pollution Control Board on or before the 15th day of May every year, beginning 1993.

(b) in Appendix 'A' after Form IV, the following form shall be inserted, namely:—

### “FORM—V

(See rule 14)

Environmental Audit Report for the financial year ending the 31st March.....

### PART-A

- (i) Name and address of the owner/occupier of the industry, operation or process
- (ii) Date of the last environmental audit report submitted

### PART-B

#### Water and Raw Material Consumption

- (1) Water consumption m3/d.  
process  
cooling  
domestic

Name of products	Water consumption per unit of products	
	during the previous financial year	during the current financial year
	(1)	(2)
(1)		
(2)		
(3)		

- (ii) Raw material consumption

Name of raw materials	Name of products	Consumption of raw material per unit of output	
		during the financial year	during the financial year

### PART-C

#### Pollution Generated

(Parameter as specified in the consent issued)

(i) Pollutants	Quantity of pollution generated	Percentage of variation from prescribed standards with reasons
(a) Water		
(b) Air		

**PART-D**

**Hazardous Wastes**  
[as specified under Hazardous Wastes/Management  
and Handling Rules, 1989]

Hazardous Wastes	Total Quantity (kg)	
	during the previous financial year	during the current financial year
(a) From process		
(b) From Pollution control facilities		

**PART-E**

**Solid Wastes**

	Total Quantity	
	during the previous financial year	during the current financial year
(a) From process		
(b) From pollution control facility		
(c) Quantity recycled or re-utilised.		

**PART-F**

Please specify the characteristics (in terms of concentration and quantum) of Hazardous as well as solid wastes and indicate disposal practice adopted for both these categories of wastes.

**PART-G**

Impact of the pollution control measures on conservation of natural resources and consequently on the cost of production.

**PART-H**

Additional investment proposal for environmental protection including abatement of pollution.

**PART-I**

Miscellaneous

Any other particulates in respect of environment protection and abatement of pollution."

[F. No. Q. 15015/1/90-CPA]  
T. GEORGE JOSEPH, *Jt. Secy.*

Foot note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. S.O. 844 (E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide

- (1) S.O. 82(E) dated the 16th February, 1987;
- (2) S.O. 393(E) dated the 16th April, 1987;
- (3) S.O. 443(E) dated the 18th April, 1987;
- (4) S.O. 64(E) dated the 18th January, 1988;
- (5) G.S.R. 919 (E) dated the 12th September, 1988;
- (6) S.O. 8(E) dated the 3rd January, 1989;
- (7) G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989;
- (8) S.O. 914(E) dated the 24 October, 1989;
- (9) G.S.R. 931(E) dated the 27th October, 1989;
- (10) G.S.R. 1063(E) dated the 25th December, 1989;
- (11) S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990;
- (12) G.S.R. 54(E) dated the 5th February, 1990;
- (13) S.O. 136(E) dated the 9th February, 1990;
- (14) G.S.R. 742(E) dated the 13th August, 1990;
- (15) S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991;
- (16) S.O. 80(E) dated the 8th February, 1991;
- (17) S.O. 114(E) dated the 19th February, 1991;
- (18) G.S.R. 85(E) dated the 20th February, 1991;
- (19) G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991;
- (20) S.O. 190(E) dated the 18th March, 1991;
- (21) S.O. 416(E) dated the 20th June, 1991;
- (22) S.O. 479(E) dated the 25th July, 1991;
- (23) S.O. 23(E) dated the 9th January, 1992.